...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...न सख्या : 09/2015

रघुवीर पुत्र श्री भैरूलाल जाति कलाल निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल ....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थीया : श्री अजीत कुमार जैन
निर्णय दिनांक : 05.10.2018
दायरा दिनांक: 08.04.2015

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पिता के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी साबिक सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 2034 से 2037 खाता संख्या 405 नया तथा पुराना 429 कुल 6 किता 37 बीघा 04 बिस्वा भूमि दर्ज थी। जिसके खसरा नं0 1157 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 2153 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 2201 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा तथा 2204 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा तथा 2619 की 11 बीघा 14 बिस्वा तथा 3685 की 02 बीघा 7 बिस्वा कुल 6 किता 37 बीघा 4 बिस्वा दर्ज थी। उक्त भूमियों के बंटवारे के बाद प्रार्थी के हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में 785 की 1.47 है0 तथा खसर नं0 786 की 0.15 है0 तथा 3072 की 0.05 है0 तथा खसरा नं0 3073 की 0.05 है0, खसरा नं0 4474 की 0.86 है0, तथा 4525 की 0.33 है0 कुल 6 किता 2.91 है0 हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में बतौर खातेदार अपनी मां पन्नी बाई के साथ दर्ज है। साबिक जमाबंदी सम्वत 2034–2037 में खसरा नं0 1157 का रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा था बाद सेटलमेंट, सेटलमेंट कार्मिको ने मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2044 से 2063 में 1157 मिन 20 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नं0 785 की 1.47 है0 तथा 786 की 1.59 है0 कुल 3.06 है0 दर्ज हुई जबकि उक्त भूमियां 3.36 है0 पुराने साबिक खसरा नं0 के मुताबिक दर्ज होनी चाहिए थी इस प्रकार उक्त हाल खसरा नम्बरान में 0.30 है0 भूमि सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत रूप से कम दर्ज की जिसका कि उनको कोई कानूनी अधिकारा नही हैं उक्त भूमियां प्रार्थी जो कम की गई है उसको दुरूस्त करवाकर हाल राजस्व रेकार्ड में पुराने साबिक खसरा नं0 1157 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा के मुकाबले जो 3.06 है0 दर्ज हुई है उसमें दुरूस्त करवाकर 3.36 है0 दर्ज करवा पाने के अधिकारी तथा नालिशी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का रकबा साबिक खसरा नं0 1157 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा के मुताबिक वर्तमान खसरा नं0 785 की 1.47 है0 तथा 786 की रकबा 1.59 है0 में से 0.15 है0 कुल 1.62 है0 के स्थान पर खसरा नं0 785 का रकबा 1.47 है0 तथा खसरा नं0 786 का रकबा 0.30 है0 की कमी दुरुस्ती कर 0.45 है0 किये जाने के

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 08.04.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया को तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो जो लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/4677 दिनांक 24.09.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मांगरोल की आराजी वर्तमान खसरा नं0 785 रकबा 1.47 है0, खसरा नं0 786 रकबा 1.59 है0, के साबिक खसरा नं0 1157 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा थे वर्तमान खसरा नं0 785, व 786 के निकटस्था खसरा नं0 की वर्तमान एवं साबिक स्थितियां निम्न प्रकार है:-

वर्तमान खसरा नं0	रकबा है0 में	साबिक खसरा नं0	रकबा
785	1.47	1157 मि0	20 बीघा 16 बिस्वा
786	1.59	1157 मि0	
784	3.30	1156 मि0	23 बीघा 16 बिस्वा
787	1.63	1158	9 बीघा 19 बिस्वा
790	1.28	1161 मि0	
799	8.20	1204	34 बीघा 15 बिस्वा
800	10.53	1204	78 बीघा 14 बिस्वा
795	2.75	1202	17 बीघा 6 बिस्वा

विवादित खसरा नं0 785, 786 के आस पास के सभी खसरा नम्बरान का अध्ययन करने पर पाया गया कि आस पास के किसी भी खसरा नं0 में बाद सेटलमेंट रकबे में बढोत्तरी नही हुयी है। अतः खसरा नं0 785, 786 में रकबे की बढोत्तरी किया जाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने ग्राम मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नं0 1157 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबे की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थीया के उक्त आराजी के समीपस्थ स्थित किसी भी खसरा नम्बरान में दौराने सेटलमेंट रकबा बढा हुआ नही पाया गया है और ना ही प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नंम्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार